न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 23/2023 (खाद्य सु. एवं मानक अधि./नियम)

GCMS NO : 2023/65

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश टांक पुत्र श्री गणेश लाल कुमावत मालिक एवं विक्रेता मैसर्स श्रीनारायण ऐजेन्सीज, 63, रोड नम्बर 4, पंचवटी उदयपुर। स्थाई पता 63, रोड न. 4 पंचवटी उदयपुर। मो. 9001776632
2. अर्पित परिख, मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटैड, गांव पुधरा, तालुका मानसा, जिला गांधीनगर गुजरात ।
3. मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, गांव पुंधरा, तालुका मानसा, गुजरात।

–विपक्षी

उपस्थित

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. श्री हितेष वैष्णव अधिवक्ता विपक्षीगण।

धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 06-06-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/ 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 30.05.2022 को 11.40 ए.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स श्रीनारायण ऐजेन्सीज, 63, रोड नम्बर 4, पंचवटी उदयपुर पर पहूँचा, वहाँ विपक्षी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

श्री दिनेश टांक उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स श्रीनारायण एजेन्सीज, 63 रोड नम्बर 4, पंचवटी उदयपुर का विक्रेता/मालिक होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता के कोल्ड स्टोर में Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml के 20 पैकेट मूल ही कम्पनी पैक, आम जनता को बिकी वास्ते रखी पायी, वजन करने पर एक पैकेट का वजन 405 ग्राम पाया गया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml के 20 पैकेट में से 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा पैकेट की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 410रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में कांच के 4 साफ, सूखे व खाली जारों मे बराबर मात्रा मे भरकर फार्मेलीन की 48 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–1933** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3822 दिनांक 01.07.2022 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/591/एक्ट/2022/591 दिनांक 07.06.2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml का सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Milk Fat (m/m) Not less than 10% होना चाहिए था, कि जगह

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

03.84% पाया गया। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3821 दिनांक 01.07.2022 के द्वारा विक्रेता एवं मालिक एवं 4108 दिनांक 13.07.2022 से निर्माता फर्म को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक मु.चि.अ./एफ.एस.एस.ए./2023/5024 दिनांक 29.05.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त विक्रेता का टर्नऑवर 12 लाख वार्षिक से अधिक है।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी निर्माता कम्पनी को खाद्य विश्लेषण की रिपोर्ट नहीं दी गई है, क्योंकि कम्पनी के पते पर नहीं भेजी गई थी। न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई। चूंकि सेम्पल की अवधि समाप्त हो जाने से वापस जांच नहीं कराई जा सकती है। निर्माता कम्पनी एक जानी मानी कम्पनी होने के नाते हम हमारे सेम्पल की स्वंय के स्तर पर जांच करने के पश्चात ही उसका विक्रय करते है। कम्पनी द्वारा नियमो की पूर्ण पालना की जाती है। प्रार्थी जिन नमूने की बात कह रहा है वह कांच के जार में लिये गये थे वे बदल भी सकते है। समय पर कम्पनी को सूचना नहीं दी गई है। नमूना लेने में किस विशेष पद्धति का उपयोग किया गया है वह नहीं बताया है। क्योंकि आईसक्रीम का स्टॉक एवं उसके परिवहन को लेकर प्रार्थी चूप है। क्योंकि आईसक्रीम को कोल्ड स्टोरेज में ही परिवहन कर सकते है। बिना प्रक्रिया का पालन किये सेम्पल लिया गया है जिसकी भी सूचना सही पते पर निर्माता कम्पनी को समय पर नहीं दी गई है। निर्माता कम्पनी ने पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान की बहस सूनी । प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रकरण स्वीकार कर भारी से भारी जुर्माने से आरोपीगण को दण्डित किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

जवाब को ही बहस मानी जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रोप किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण पर विक्रेता के कोल्ड स्टोर में Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml के 20 पैकेट मूल ही कम्पनी पैक, आम जनता को बिकी वास्ते रखी पायी, वजन करने पर एक पैकेट का वजन 405 ग्राम पाया गया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml के 20 पैकेट में से 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार नमूना Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml का सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। **क्योंकि Milk Fat (m/m) Not less than 10% होना चाहिए था, कि जगह 03.84% पाया गया।**

आरोपी द्वारा निम्न मुख्य बिन्दुओ के आधार पर उक्त प्रकरण को सबस्टेण्र्ड नहीं माना जाकर प्रकरण खारिज किया जाने का तर्क दिया है उन बिन्दुओं पर निष्कर्श निम्न है कि:-

1. यह कि विपक्षी संख्या 3 को फार्म संख्या 5ए की प्रति नहीं दी गई है- प्रकरण मे आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ नोटिस 4108 दिनांक 13.07.2022 की प्रति पेश की जो रजिस्टर्ड एडी से भेजी गई जिसकी रसीद नोटिस पर चस्पा है, उस पर कम्पनी का पता अंकित है इससे स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 3 को सूचना दी गई है।

2. यह कि निर्माता कम्पनी एक जानी मानी कम्पनी होने के नाते हम हमारे सेम्पल की स्वंय के स्तर पर जांच करने के पश्चात ही उसका विकय करते है। प्रार्थी जिन नमूने की बात कह रहा है वह कांच के जार में लिये गये थे वे बदल भी सकते है- प्रकरण में आरोपी द्वारा अपने सेम्पल की स्वंय के स्तर पर जांच करना बताया जो कि एक निजि प्रक्रिया है उसकी रिपोर्ट की सत्यता को न्यायालय में नहीं माना जा सकता है। आरोपी द्वारा अपने जवाब में भी स्वंय के स्तर पर की गई जांच की रिपोर्ट भी नहीं लगाई, केवल कथन किया है जिसका कोई महत्व नहीं है। प्रार्थी का कथन है कि कांच के जार में सेम्पल लिया वह बदल भी सकता है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल को 4 भागो में लेकर सभी पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी उदयपुर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप संख्या AA-1933 को चस्पा किया गया था। उक्त सभी कार्यवाही आरोपी संख्या 1 एवं गवाहों के सामने की गई उक्त सभी प्रकिया दस्तावेजों पर उपलब्ध है। उक्त पेपर स्लिप कोड से ही सेम्पल लेबोरेट्री पर जांच

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

हेतु भिजवाया गया है। आरोपी द्वारा बिना कोई साक्ष्य के केवल मात्र अनुमान के आधार पर सेम्पल की प्रकिया पर प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे है जो कि उचित नहीं है।

3. यह कि नमूना लेने में किस विशेष पद्धति का उपयोग किया गया है वह नहीं बताया है। क्योंकि आईसकीम का स्टॉक एवं उसके परिवहन को लेकर प्रार्थी चूप है। क्योंकि आईसकीम को कोल्ड स्टोरेज में ही परिवहन कर सकते है– खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml लिया गया है जो Milk Fat (m/m) Not less than 10% होना चाहिए था, कि जगह 03.84% होने से सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। चूंकि आरोपी निर्माता कम्पनी के खाद्य पदार्थ Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml में Milk Fat (m/m) की गुणवत्ता की कमी पायी गई है जिसका कोल्ड स्टोरेज परिवहन से कोई लेना देना नहीं है मिल्क फेट का कोल्ड स्टोरेज में होने न होने से कोई फर्क नही पडता है। आरोपी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार पाई जाती है। Butter Scotch Icecream (Vadilal)700ml नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया जाता है। चूंकि मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड एक जाना माना राष्ट्रीय ब्राण्ड होकर आईसकीम, कुल्फी का निर्माण करती है जिसकी आपूर्ति पूरे भारत में होती है। इनके वृहद स्तर पर उपभोक्ता है, खाद्य पदार्थ आईसक्रीम होकर यह अमुमन छोटे बच्चो की पसंदीदा रहती है। ऐसी स्थिति में कम्पनी को चाहिए कि वह उपभोक्ताओ के हितो के अनुकुल व्यवहार करते हुए गुणवत्ता का ध्यान रखे एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निर्देशों की पालना में अपने खाद्य पदार्थो का निर्माण/विकय करे।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं एवं छोटे बच्चों के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय/निर्माण करके विपक्षी आरोपीगण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपीगण को संयुक्त रूप से कुल राशि ₹5,00,000/–रु अक्षरे रूपया पांच लाख मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर
उदयपुर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते